

प्रपत्र- VI 'क'  
झारखण्ड सरकार  
समाहरणालय राँची  
(विशेष भू-अर्जन कार्यालय, मध्यम सिचाई परियोजना राँची)

प्रारम्भिक अधिसूचना  
(अधिनियम-30/2013 की धारा -11(1) के अधीन)

पत्रांक:-

दिनांक:-

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम काजीबारु थाना बुण्डु थाना न0 65 अंचल बुण्डु जिला राँची में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा रायसा जलाशय योजना हेतु अपेक्षित है, प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासन के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम काजीबारु शीट न0 2 थाना बुण्डु, थाना न0 65 अंचल बुण्डु जिला राँची में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिये कमोवेश 23.99 एकड यानि 9.692 हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है:-

क्र0	खाता सं0	सर्वेभू-खण्ड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जनाधीन भूमि का क्षेत्रफल (एकड में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू-खण्ड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	44	558	गैरमजरुआ खास	परती कदीम	0.04	लखी नारायण मुण्डा व0 दुबराज मुण्डा व0 कालीपद मुण्डा व0 दिगम्बर मुण्डा	सीमा हुमटा	561	सीमा हुमटा	558
2.	44	575	गैरमजरुआ खास	जंगलझाडी	2.31	बुआल मुण्डा	575	सीमा हुमटा	सीमा हुमटा	571
3.	44	575	गैरमजरुआ खास	जंगलझाडी	0.07	निवासी निज ग्राम	571	575	सीमा हुमटा	575
4.	44	575	गैरमजरुआ खास	जंगलझाडी	1.45		575	574	575	575
5.	44	575	गैरमजरुआ खास	जंगलझाडी	2.80		575	सीमा हुमटा	575	582
6.	44	575	गैरमजरुआ खास	जंगलझाडी	0.25		575	575	575	577
7.	44	575	गैरमजरुआ खास	जंगलझाडी	0.24		575	575	577	578
8.	44	575	गैरमजरुआ खास	जंगलझाडी	1.08		578	582	578	581
9.	44	582	गैरमजरुआ खास	नाला	1.35		578	583	575	597
10.	44	583	गैरमजरुआ खास	नदी	1.16		597	584	575	597
11.	44	584	गैरमजरुआ खास	परती कदीम	0.34		583	सीमा हुमटा	583	583
12.	24	585	रैयती	दोन तीन	0.07		597	सीमा हुमटा	597	597
13.	24	586	रैयती	दोन दो	0.08		597	सीमा हुमटा	597	635

14.	24	587	रैयती	दोन एक	0.24		597	597	597	635
15.	44	597	गैरमजरुआ खास	जंगलझाडी	6.12		597	सीमा हुमटा	583	635
16.	44	597	गैरमजरुआ खास	जंगलझाडी	0.27		597	597	594	597
17.	1	594	वकास्त मुण्डारी खुटकटी	दोन एक	0.92		597	635	597	695
18.	44	597	गैरमजरुआ खास	जंगलझाडी	0.05		597	593	597	593
19.	44	597	गैरमजरुआ खास	जंगलझाडी	0.36		597	589	597	598
20.	38	589	रैयती	दोन दो	0.30		597	635	597	635
21.	44	635	गैरमजरुआ खास	जंगलझाडी	2.40		597	सीमा हुमटा	597	635
22.	61	571	रैयती	दोन एक	0.20	युगल मुण्डा पिता स्व0 दासा मुण्डा वो ठाकुर मुण्डा पिता स्व0 कुंजल मुण्डा निज निवासी निज ग्राम	568	575	सीमा हुमटा	567
23.	4	574	रैयती	दोन दो	0.40	गुरुआ मुण्डा वो सानिका मुण्डा वो कालिया मुण्डा पिता स्व0 दुबराज मुण्डा नि0 नि0 ग्राम	572	सीमा हुमटा	575	575
24.	4	572	रैयती	दोन दो	0.17	..	575	573	575	575
25.	4	573	रैयती	मोटाआर	0.02	..	572	574	575	575
26.	10	577	रैयती	दोन तीन	0.15	मधु मुण्डा पिता स्व0 गुमन मुण्डा नि0 नि0 ग्राम	576	575	575	578
27.	10	576	रैयती	दोन तीन	0.11	..	575	575	578	575
28.	27	580	रैयती	दोन तीन	0.06	राधा मुण्डा पिता स्व0 पाण्डु मुण्डा नि0 नि0 ग्राम	578	597	578	597
29.	27	581	रैयती	दोन दो	0.46	..	578	597	578	597
30.	7	593	रैयती	दोन दो	0.24	सुकलाल मुण्डा पिता स्व0 कुंवर मुण्डा नि0 नि0 ग्राम	597	591	597	635
31.	7	592	रैयती	मोटा आर	0.02	..	593	591	597	635
32.	7	591	रैयती	दोन दो	0.21	..	592	590	597	635

33.	38	590	रैयती	मोटा आर	0.03	..	591	589	597	635
34.	7	588	रैयती	दोन तीन	0.02	..	597	635	597	635

23.99

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम सं0 30/2013 ) की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी राँची के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता –सह –समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथानिदिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु आपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिये अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी राँची और उनके कर्मचारी .....का प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदित के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अन्तरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अन्तरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ ( 60 दिनों ) के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपतियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी,  
राँची।

अपर समाहर्ता,  
राँची।

उपायुक्त,  
राँची।